



आवास बोर्ड हरियाणा

प्लॉट नं. सी. 15, आवास भवन,

सैक्टर-6, पंचकुला



रिफण्ड संबंधित विवादों का समाधान

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा रिफण्ड संबंधित सभी विवादों के निपटान के लिए ई.डब्ल्यू.एस., बी.पी.एल., पी.एम. ए.वाई., डिफेंस स्कीम व अन्य स्कीमों का रिफण्ड किया जा रहा है जिनकी सूची लिंक <http://hbh.gov.in/ApplyForRefund> पर उपलब्ध है। उपरोक्त स्कीमों के ऑनलाइन रिफंड के भुगतान के लिए लिंक <http://hbh.gov.in/ApplyForRefund> पर जाकर निम्न दस्तावेज अपलोड करें-

आवास बोर्ड हरियाणा द्वारा जारी किया गया आवंटन/ डिमांड पत्र

आवेदक के बैंक खाते की विवरण प्रति/कैंसल चैक (जिसमें आवेदक का नाम, पिता/ पति का नाम, बैंक खाता नम्बर, आई. एफ.एस.सी. कोड आदि स्पष्ट रूप से दिखाई दें)

मोबाइल नम्बर

बैंक के नो ड्यूज प्रमाण पत्र की प्रति (यदि पंजीकृत राशि ऋण लेकर भरी हो तो)

पैन कार्ड**

यदि किसी आवेदक को ऊपर दिए गए लिंक पर दस्तावेज अपलोड करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह संबंधित सम्पदा प्रबंधक, आवास बोर्ड हरियाणा के कार्यालय **(कार्यालय के पते की सूची <http://hbh.gov.in/Contact-us/Estate-Managers> लिंक पर उपलब्ध है)** में प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे (कार्य दिवस) तक जाकर सम्पर्क कर सकता है और वहां अपने दस्तावेज जमा करा सकता है।

* नोट:- दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया (SOP) लिंक <http://hbh.gov.in/ApplyForRefund> पर उपलब्ध है।

** बोर्ड द्वारा रद्द की गई स्कीमों (Scrapped Schemes) के रिफण्ड भुगतान के लिए पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य है।